न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 33 सन 2020

अनवान :–

1. बद्रीप्रसाद पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दुर्गा पुत्री मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/152/3 के खसरा न0 373 की 0.986हैक , खसरा न0 339/1 की 2.479 हैक खसरा न0 341/464/1 की 0.835हैक कुल 4.300हैक भूमि स्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा लाखासर की कुल 4.300हैक भूमि का सहमति से खाता तक्सीम करवा लिया है बाद खाता तक्सीम वादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/3 की 0.594 ,खसरा न0 341/464/1 की 0.834हैक कुल 1.428हैक एवं वादिया संख्या 2 के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/1 की 1.442हैक भूमि हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/2 की 0.442हैक खसरा न0 373 की 0.986हैक कुल 1.428हैक भूमि हिस्से में आई।

रोही मौजा लाखासर के खाता विभाजन के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 07.01.2005 के आधार पर जमाबन्दी में अंकन होना चाहिये था परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ब्रदीप्रसाद के नाम खसरा 339/1/3 की 0.594हैक खसरा न0 341/464/1 की 0.834हैक की जगह खसरा न0 339/3 की 0.594हैक एवं खसरा न0 341/478 की 0.834 हैक एवं वादिया संख्या 2 दुर्गा देवी के नाम खसरा न0 339/1/1 की 1.442है की जगह खसरा न0 339/4 की 1.442हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष के नाम खसरा न0 339/1/3 की 0.442हैक खसरा न0 373 की 0.986 की जगह 339/3 की 0.986हैक दर्ज कर दिया इसप्रकार वाद भूमि का जमाबन्दी में सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु खसरा न0 गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे वादीगण संशोधन करवाकर खाता तक्सीम के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु सहवन से नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 07.01.2005 भी दर्ज हो गया किन्तु जमाबन्दी बनाते समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के खाता विभाजन के अनुसार दर्ज नही हुआ है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया गया शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/152/3 के खसरा न0 373 की 0.986हैक , खसरा न0 339/1 की 2.479 हैक खसरा न0 341/464/1 की 0.835हैक कुल 4.300हैक भूमि स्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ने रोही मौजा लाखासर की कुल 4.300हैक भूमि का सहमति से खाता तक्सीम करवा लिया है बाद खाता तक्सीम वादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/3 की 0.594 ,खसरा न0 341/464/1 की 0.834हैक कुल 1.428हैक एवं वादिया संख्या 2 के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/1 की 1.442हैक भूमि हिस्से में आई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 339/1/2 की 0.442हैक खसरा न0 373 की 0.986हैक कुल 1.428हैक भूमि हिस्से में आई।

रोही मौजा लाखासर के खाता विभाजन के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 07.01.2005 के आधार पर जमाबन्दी में अंकन होना चाहिये था परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ब्रदीप्रसाद के नाम खसरा 339/1/3 की 0.594हैक खसरा न0 341/464/1 की 0.834हैक की जगह खसरा न0 339/3 की 0.594हैक एवं खसरा न0 341/478 की 0.834 हैक एवं वादिया संख्या 2 दुर्गा देवी के नाम खसरा न0 339/1/1 की 1.442है की जगह खसरा न0 339/4 की 1.442हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष के नाम खसरा न0 339/1/3 की 0.442हैक खसरा न0 373 की 0.986 की जगह 339/3 की 0.986हैक दर्ज कर दिया इसप्रकार वाद भूमि का जमाबन्दी में सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु खसरा न0 गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे वादीगण संशोधन करवाकर खाता तक्सीम के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 87/152/3 के खसरा न0 373 की 0.986हैक , खसरा न0 339/1 की 2.479 हैक खसरा न0 341/464/1 की 0.835हैक कुल 4.300हैक भूमि स्थित है जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 07.01.2002 दर्ज हो गया किन्तु आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय जमाबन्दी में भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अंकन तो सही तौर से कर दिया किन्तु खसरा नम्बर गलत तौर से दर्ज कर दिया जिसे संशोधन करवाना चाहते है जिसके सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के आपसी सहमति से हुए राजीनामा के अनसुार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 140/133 में वादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद के नाम दर्ज खसरा न0 339/3 व खसरा न0 341/478 की जगह 339/1/3 व खसरा न0 341/464/1 व वादिया सख्या 2 दुर्गा देवी के नाम दर्ज खसरा न0 339/4 की जगह खसरा न0 339/1/1 की प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष के नाम दर्ज खसरा न0 339/1 व खसरा न0 373/3 की जगह खसरा न0 339/1/2 व खसरा न0 373 संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बद्रीप्रसाद पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दुर्गा पुत्री मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 33 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 140/133 में वादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद के नाम दर्ज खसरा न0 339/3 व खसरा न0 341/478 की जगह 339/1/3 व खसरा न0 341/464/1 व वादिया सख्या 2 दुर्गा देवी के नाम दर्ज खसरा न0 339/4 की जगह खसरा न0 339/1/1 की प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष के नाम दर्ज खसरा न0 339/1 व खसरा न0 373/3 की जगह खसरा न0 339/1/2 व खसरा न0 373 संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते